कार्यालय गोरखपुर विकास प्राधिकरण, गोरखपुर।

आवश्यक सूचना

गोरखपुर विकास प्राधिकरण, गोरखपुर द्वारा संचालित खोराबार टाउनशिप एवं मेडिसिटी योजना के अन्तर्गत विभिन्न श्रेणी के भूखण्डों का ई–नीलामी के माध्यम से प्राप्त करने हेतु दिनांक–10.04.2026 से 08.08.2026 तक ऑनलाइन पंजीकरण खोला गया था, जिसकी ई–नीलामी दिनांक–17.08.2026 को हो चुकी है। शेष बचे भूखण्डों के आवंटन हेतु जन सामान्य की माँग के दृष्टिगत पुनः दिनांक–20/09/2026 से 27/10/2026 तक ऑनलाइन पंजीकरण खोला जा रहा है। उपलब्ध सम्पत्तियों का विवरण, नियम व शर्तें प्राधिकरण की वेबसाइट www.gdagkp.in पर उपलब्ध है, जिस पर इच्छुक व्यक्ति ऑनलाइन पंजीकरण करा सकते हैं। इसकी ई–नीलामी दिनांक–03/11/2026 को किया जायेगा।

(प्रखर उत्तम)
प्रभारी सचिव

(अभिनव गोपाल)
उपाध्यक्ष

गोरखपुर विकास प्राधिकरण,गोरखपुर

पंजीकरण प्रारम्भ तिथि–29/09/2026 पंजीकरण सामाप्ति तिथि –27/10/2026 ई–नीलामी की तिथि–03/11/2026

गोरखपुर विकास प्राधिकरण द्वारा संचालित खोराबार टाउनशिप एवं मेडिसीटी योजना के अन्तर्गत भूखण्डों को ई–नीलामी के माध्यम से प्राप्त करने का स्वर्णिम अवसर :–							
क्र0सं0	सम्पत्ति का प्रकार	भूखण्डों की संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में)	अनुमानित बेस प्राइस/आरक्षित मूल्य प्रति वर्ग मीटर	कुल बेस प्राइस (न्यूनतम आरक्षित मूल्य)	पंजीकरण धनराशि (रूपये में)	
						सामान्य वर्ग (रूपये में)	आरक्षित वर्ग (रूपये में)
1	क्लीनिक लेन	भूखण्ड संख्या–03	420.00	48000.00	20160000.00	2016000.00	1008000.00
2	क्लीनिक लेन	भूखण्ड संख्या–07	492.65	48000.00	23647200.00	2364720.00	1182360.00
3	क्लीनिक लेन	भूखण्ड संख्या–08	460.17	48000.00	22088160.00	2208816.00	1104408.00
4	क्लीनिक लेन	भूखण्ड संख्या–09	427.69	48000.00	20529120.00	2052912.00	1026456.00
5	क्लीनिक लेन	भूखण्ड संख्या–10	473.50	48000.00	22728000.00	2272800.00	1136400.00
6	क्लीनिक लेन	भूखण्ड संख्या–11	402.41	48000.00	19315680.00	1931568.00	965784.00
7	क्लीनिक लेन	भूखण्ड संख्या–13	322.00	48000.00	15456000.00	1545600.00	772800.00
8	क्लीनिक लेन	भूखण्ड संख्या–14	322.00	48000.00	15456000.00	1545600.00	772800.00
9	क्लीनिक लेन	भूखण्ड संख्या–20	322.00	48000.00	15456000.00	1545600.00	772800.00
10	क्लीनिक लेन	भूखण्ड संख्या–22	322.00	48000.00	15456000.00	1545600.00	772800.00
11	क्लीनिक लेन	भूखण्ड संख्या–23	322.00	48000.00	15456000.00	1545600.00	772800.00
12	क्लीनिक लेन	भूखण्ड संख्या–25	402.41	48000.00	19315680.00	1931568.00	965784.00
13	क्लीनिक लेन	भूखण्ड संख्या–26	322.00	48000.00	15456000.00	1545600.00	772800.00
14	क्लीनिक लेन	भूखण्ड संख्या–27	322.00	48000.00	15456000.00	1545600.00	772800.00
15	क्लीनिक लेन	भूखण्ड संख्या–28	322.00	48000.00	15456000.00	1545600.00	772800.00
16	क्लीनिक लेन	भूखण्ड संख्या–29	322.00	48000.00	15456000.00	1545600.00	772800.00
1	हास्पिटल	H-1b	4152.46	37930.00	157502808.00	15750281.00	7875141.00
2	हास्पिटल	H-3e	2796.74	37930.00	106080349.00	10608035.00	5304017.00

3	हास्पिटल	H-4n	1094.22	37930.00	41503765.00	4150377.00	2075188.00
4	हास्पिटल	H-4p	1350.42	37930.00	51221431.00	5122143.00	2561072.00
5	हास्पिटल	H-4w	1350.97	37930.00	51242292.00	5124229.00	2562115.00
6	हास्पिटल	H-5e	993.27	37930.00	37674731.00	3767473.00	1883737.00
7	हास्पिटल	H-5f	993.27	37930.00	37684731.00	3767473.00	1883737.00
8	हास्पिटल	H-5g	998.69	37930.00	37880312.00	3788031.00	1894016.00
9	हास्पिटल	H-5j	961.97	37930.00	36487522.00	3648752.00	1824376.00
10	हास्पिटल	H-6h	653.88	37930.00	24801668.00	2480167.00	1240083.00
11	हास्पिटल	H-6l	632.61	37930.00	23994897.00	2399490.00	1199745.00
12	हास्पिटल–7	आयुष हास्पिटल	3579.08	37930.00	135754504.00	13575450.00	6787725.00
1	डाइग्नोस्टिक लैब	C	105.65	75860.00	8014609.00	801461.00	400731.00
2	डाइग्नोस्टिक लैब	H	128.02	75860.00	9711597.00	971160.00	485580.00
3	डाइग्नोस्टिक लैब	I	127.74	75860.00	9690356.00	969036.00	484518.00
4	डाइग्नोस्टिक लैब	J	122.47	75860.00	9290574.00	929057.00	464529.00
5	डाइग्नोस्टिक लैब	K	121.78	75860.00	9238231.00	923823.00	461912.00
6	डाइग्नोस्टिक लैब	L	150.54	75860.00	11419964.00	1141996.00	570998.00
1	सेक्टर शापिंग फार मेडिसीन	C-5b(i)	2167.46	75860.00	164423516.00	16442352.00	8221176.00
2	वेडिंग जोन	C-5b(iii)	1963.51	75860.00	148951869.00	14895186.00	7447593.00
3	वेडिंग जोन	C-5b(iv)	485.06	75860.00	36796652.00	3679665.00	1839833.00
4	होटल	C-6	3269.56	75860.00	248028822.00	24802882.00	12401441.00
5	मल्टीप्लैक्स	C-1	4064.82	75860.00	308357245.00	30835725.00	15417862.00
6	कामर्शियल	C-2b	2004.55	75860.00	152065163.00	15206516.00	7603258.00

7	कामर्शियल	C-3a(iii)	1022.99	75860.00	77604021.00	7760402.00	3880201.00
8	कामर्शियल	C-3a(iv)	1002.46	75860.00	76046616.00	7604662.00	3802331.00
9	कामर्शियल शोरूम	C-3b(i)	1128.78	75860.00	85629251.00	8562925.00	4281463.00
10	कामर्शियल शोरूम	C-3b(ii)	1000.00	75860.00	75860000.00	7586000.00	3793000.00
11	कामर्शियल शोरूम	C-3b(iii)	1000.00	75860.00	75860000.00	7586000.00	3793000.00
12	कामर्शियल शोरूम	C-3b(iv)	1000.00	75860.00	75860000.00	7586000.00	3793000.00
13	कामर्शियल शोरूम	C-3b(v)	1000.00	75860.00	75860000.00	7586000.00	3793000.00
14	कामर्शियल शोरूम	C-3b(vi)	1051.42	75860.00	79760721.00	7976072.00	3988036.00
15	शापिंग सेन्टर	C-3c(iii)	479.56	75860.00	36379422.00	3637942.00	1818971.00
16	शापिंग सेन्टर	C-3c(iv)	479.56	75860.00	36379422.00	3637942.00	1818971.00
17	शापिंग सेन्टर	C-3c(vi)	479.56	75860.00	36379422.00	3637942.00	1818971.00
18	शापिंग सेन्टर	C-3c(vii)	479.56	75860.00	36379422.00	3637942.00	1818971.00
19	शापिंग सेन्टर	C-3d	1198.91	75860.00	90949313.00	9094931.00	4547466.00
20	शापिंग सेन्टर	C-4a	1629.32	75860.00	123600215.00	12360022.00	6180011.00
21	वेडिंग जोन	C-4b	474.89	75860.00	36025155.00	3602516.00	1801258.00
22	गैस गोदाम	C-4c	887.50	75860.00	67325750.00	6732575.00	3366288.00
1	ग्रुप हाउसिंग	GH-1	6310.40	56895.00	359030208.00	35903021.00	17951510.00
2	ग्रुप हाउसिंग	GH-2 + 4	14282.38	56895.00	812596010.00	81259601.00	40629801.00
3	ग्रुप हाउसिंग	GH-3	8061.02	56895.00	458631733.00	45863173.00	22931587.00
4	ग्रुप हाउसिंग	GH-9	5704.99	56895.00	324585406.00	32458541.00	16229270.00
5	ग्रुप हाउसिंग	GH-5	11172.57	56895.00	635663370.00	63566337.00	31783169.00
6	ग्रुप हाउसिंग	GH-6	12077.19	56895.00	687131725.00	68713173.00	34356586.00

1	स्पेशल एजुकेशन इनस्टीट्यूट (पैरामेडिकल ट्रेनिंग के लिए) (शैक्षिक)	-	7219.46	37930.00	273834118.00	27383412.00	13691706.00
2	स्कूल	-	9221.96	37930.00	349788943.00	34978894.00	17489447.00

नोट– 1–हास्पिटल, आयुष अस्पताल, पैरामेडिकल ट्रेनिंग इनस्टीट्यूट, स्कूल के लिए भूमि का आवंटन 99 वर्षो के लीज पर नीलामी के माध्यम से किया जायेगा।

2–विभिन्न प्रकार की सम्पत्तियों हेतु सामान्य एवं आरक्षित वर्ग हेतु पंजीकरण की धनराशि जमानत धनराशि के रूप में जमा कर ई–नीलामी में प्रतिभाग किया जा सकता है लेकिन प्रथम भूखण्ड आवंटित होते ही बाकी के भूखण्डों में प्रतिभाग किया जाना निषेध होगा, एक व्यक्ति/परिवार द्वारा क्लीनिक लेन के लिए एक से अधिक पंजीकरण मान्य नहीं होगे, लेकिन ग्रुप हाउसिंग, कामर्शियल टाउनशिप, कामर्शियल मेडिसिटी,हास्पिटल (छोट,मध्य एवं बड़े आकार के) एवं डायोग्नोस्टिक लैब के लिए श्रेणीवार एक पंजीकरण शुल्क जमा कर एक से अधिक भूखण्डों में ई–नीलामी की प्रक्रिया में प्रतिभाग कर सकते है।

पंजीकरण हेतु क्या करें:–

1–पंजीकरण विवरण पुस्तिका रू0–1000.00 (जी0एस0टी0 सहित) किसी भी कार्यदिवस में निर्धारित अवधि के अन्दर आनलाइन प्राधिकरण निधि में जमा करके प्राधिकरण की वेवसाइट WWW.gdagkp.in से डाउनलोड किया जा सकता है।

2:– निर्धारित पंजीकरण धनराशि आनलाइन प्राधिकरण निधि में जमा करना होगा।

3–विशेष जानकारी हेतु किसी भी कार्यदिवस में प्रभारी अधिकारी (सम्पत्ति)/सहायक सम्पत्ति अधिकारी/सहायक जन सम्पर्क अधिकारी से सम्पर्क कर सकते है।

प्रखर उत्तम
सचिव

अभिनव गोपाल
उपाध्यक्ष

मेडिसिटी योजना के प्रस्ताविक भूखण्डों के आवंटन हेतु नियम एवं शर्तें :-

(24)

1- आवेदन हेतु पात्रता :-

1. आवेदक भारत का नागरिक हो।
2. आवेदक की आयु 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए।
3. एक परिवार के एक ही सदस्य/संस्था को भूखण्ड आवंटित किया जायेगा। परिवार में पति पत्नी अल्प व्यस्क बच्चों को शामिल किया जायेगा।
4. पंजीकरण परिवार/रक्त सम्बन्ध के आधार पर एक से अधिक या संयुक्त नाम से किया जा सकता है।
5. क्लीनिक लेन के भूखण्डों के लिए ऐसी संस्था जहां से प्रेक्टिस करने के लिए लाईसेन्स प्राप्त हो या आई0एम0ए0 में पंजीकृत डाक्टर ही आवेदन करने के लिए पात्र होंगे।
6. बोलीदाता सुसंगत अभिलेखो के साथ इस आशय का स्वयं शपथ-पत्र संलग्न करेगा कि उसकी हैसियत ऐसी है कि वह नीलामी में सफल होने पर सम्पत्ति के आवंटन के फलस्वरूप अपेक्षित भुगतान करने में सक्षम है।

2- पंजीकरण प्रकिया :-

1. पंजीकरण प्रपत्र रू0-1000.00 प्राधिकरण निधि में आन लाइन जमा करके गोरखपुर विकास प्राधिकरण की बेबसाईट पर www.gdagkp.in पर डाउनलोड कर सकते है।
2. शपथ पत्र तैयार कर आनलाइन पंजीकरण लोड किया जाना होगा।

3- आवेदन पत्र भरने के लिए अनुदेश :-

1.पंजीकरण हेतु रू0-1000.00 मात्र जमा कर आन लाईन आवेदन किया जा सकता है।

2. स्कूल एवं बैंकेट हाल छोड़कर शेष सम्पत्ति जिसका क्षेत्रफल एक एकड़ तक है। ऐसी सम्पत्तियों के लिए सामान्य वर्ग के लिए पंजीकरण धनराशि सम्पत्ति मूल्य का 10 प्रतिशत एवं आरक्षित वर्ग के लिए 5 प्रतिशत देय होगा तथा एक एकड़ से अधिक के सम्पत्तियों के लिए सामान्य वर्ग के लिए पंजीकरण धनराशि सम्पत्ति मूल्य का 5 प्रतिशत एवं आरक्षित वर्ग के लिए 3 प्रतिशत देय होगा जिसे आन लाइन जमा करना होगा।

3.व्यवसायिक भूखण्डों का आवंटन पंजीकृत आवेदको के मध्यम ई-नीलामी के माध्यम से किया जायेगा।

4.पंजीकरण की शर्ते एवं औपचारिकताए प्राधिकरण की वेबसाईट www.gdagkp.in पर उल्लिखित है।

5.विशेष जानकारी हेतु किसी भी कार्य दिवस में प्रभारी अधिकारी सम्पत्ति/सहायक सम्पत्ति अधिकारी/सहायक जन सम्पर्क अधिकारी से सम्पर्क कर सकते है।

4- भुगतान एवं आवंटन प्रक्रिया :-

1.व्यवसायिक सम्पत्ति का आवंटन "जहां है जैसे है" के आधार पर ई-नीलामी के माध्यम से किया जायेगा ।

2. स्कूल एवं बैंकेट हाल छोड़कर शेष सम्पत्ति जिसका क्षेत्रफल एक एकड़ तक है। ऐसी सम्पत्तियों के लिए सामान्य वर्ग के लिए पंजीकरण धनराशि सम्पति मूल्य का 10 प्रतिशत एवं आरक्षित वर्ग के लिए 5 प्रतिशत देय होगा एवं नीलामी में सफल आवेदकों को सम्पत्ति मूल्य का 25 प्रतिशत आवंटन पत्र निर्गत होने के 45 दिन के अन्दर तथा अवशेष धनराशि 90 दिन के अन्दर बिना ब्याज के जमा करना होगा तथा एक एकड़ से अधिक के सम्पत्तियों के लिए सामान्य वर्ग के लिए पंजीकरण धनराशि सम्पत्ति मूल्य का 5 प्रतिशत एवं आरक्षित वर्ग के लिए 3 प्रतिशत देय होगा। ई–निलामी में सफल आवेदको को सम्पत्ति मूल्य का 25 प्रतिशत आवंटन धनराशि आवंटन पत्र निर्गत होने के 60 दिवस के अन्दर तथा अवशेष धनराशि 120 दिन के अन्दर जमा करना होगा।

3. भूमि मूल्य का 12 प्रतिशत फ्रीहोल्ड शुल्क जमा करना होगा।

4. वांछित धनराशि निर्धारित तिथि में जमा न करने पर प्रदेशन पत्र के अनुसार 21 प्रतिशत वार्षिक अतिरिक्त दण्ड ब्याज देय होगा।

5. किसी भी प्रकार के करों की देयता आवंटी को स्वयं वहन करना होगा।

6. केता को नगर निगम,राज्य सरकार व अन्य किसी प्राधिकारी द्वारा आरोपित किये गये कर अथवा अधिमार आदि स्वयं वहन करने होंगे। किसी विभाग से प्रात की जाने वाली अनुमति/अनापत्ति/अनुज्ञा केता को स्वयं अपने व्यय पर प्राप्त करने होंगे।

7. यदि देय तिथि के दिन बैंक अवकाश होता है तो आवंटी यह सुनिश्चित करेंगे कि उसके पूर्व ही देय धनराशि जमा कर दें।

8– सम्पत्ति कार्नर होने की दशा में 10 प्रतिशत कार्नर शुल्क देय होगा।

5– आरक्षण :–

शासनादेश के अनुसार आरक्षण निम्न प्रकार देय होगा :–

कमाक	वर्ग	प्रतिशत
1.	अनुसचित जाति	21 प्रतिशत
2.	अनुसूचित जन जाति	02 प्रतिशत
3.	अन्य पिछड़ा वर्ग	27 प्रतिशत
4.	मा0विधायक/मा0सांसद व स्वतंत्रता संग्राम सेनानी	05 प्रतिशत
5.	सरकारी सेवको तथा सुरक्षा सेवाओं के कर्मचारियों जो50 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हो।	05 प्रतिशत
6.	उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद,विकास प्राधिकरण,जल संस्थान, नगर निगम व स्थानीय निकायों के कर्मचारी	02 प्रतिशत
7.	भूतपूर्व सैनिक व उनके आश्रित	03 प्रतिशत

8. दिव्यांगजन को शासनादेश संख्या 786/आठ–1–08–25विविध/07 दिनांक 30.01.08 के अनुसार 03 प्रतिशत होरीजान्टल आरक्षण देय होगा।

9. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय,भारत सरकार द्वारा घोषित वृद्धजनों के लिए 10 प्रतिशत के आरक्षण की व्यवस्था कर दी जाय परन्तु यह आरक्षण अलग से न होकर प्रत्येक श्रेण के लिए उपलब्ध आरक्षण में से ही होगा। उदाहरण स्वरूप यदि वृद्ध व्यक्ति अनुसूचित जाति का है तो उस वर्ग के लिए निर्धारित 21 प्रतिशत के आरक्षण का 10प्रतिशत आरक्षण वृद्धजनों के लिये उपलब्ध होगा। इस प्रकार यह आरक्षण होनीजान्टल होगा।

9.1 वृद्धजनों से तात्पर्य ऐसे व्यक्तियों से है जिन्होने आवेदन की तिथि को 60 वर्ष की आयु पूरी कर ली है।

9.2 आरक्षण के लिए सक्षम अधिकारी से निर्गत प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।

9.3 पैरा 9.1 का आरक्षण प्राप्त करने के लिए आयु प्रमाण संलग्न करना अनिवार्य है।

21

यदि उपरोक्त आरक्षण के अन्तर्गत आवेदन उपलब्ध नही होते हैं तो व्यवसायिक दुकानों/भूखण्डों को सामान्य वर्ग के आवेदकों को आवंटित कर दिया जायेगा। उपरोक्त सम्पत्तियों के आरक्षण का चिन्हीकरण नीलामी के पूर्व प्राधिकरण द्वारा किया जायेगा।

6— आवंटन, कब्जा एवं निर्माण कार्य :—

1.व्यवसायिक भूखण्डों का आवंटन पंजीकृत व्यक्तियों/संस्था के मध्य ई–नीलामी के माध्यम से किया जायेगा।

2.व्यवसायिक भूखण्डों का कब्जा विकास कार्य पूर्ण होने के पश्चात् नियमानुसार अनुबन्ध विलेख/फ्रीहोल्ड विलेख निष्पादित होने के पश्चात् दिया जायेगा।

3.ई–नीलामी में उच्चतम बोलीदाता के पक्ष में व्यवसायिक भूखण्ड का आवंटन किया जायेगा।

4.आवंटी को कब्जा प्राप्त होने से पूर्व नियमानुसार समस्त औपचारिकताये पूर्ण करनी होगी।

7— जमा धनराशि की वापसी :—

1.जमा की जाने वाली धनराशि प्राधिकरण के खाते में जमा होने की तिथि से अनुगामी माह की पहली तारीख से पूर्व वापसी नही की जायेगी,किसी पंजीकृत आवेदक से ई–नीलामी में सफल न होने, विकास कार्य अथवा उसके स्थान में कोईपरिवर्तन होने या आवंटन हेतु आवेदक के अधिकृत न होने की दशा में आवेदक अपनी जमा धनराशि एक वर्ष के अन्दर बिना ब्याज रू0—1,000.00 प्रशासनिक व्यय की कटौती के उपरान्त वापस ले सकता है।

2.उच्चतम बोलीदाता द्वारा बोली की धनराशि जमा न करने पर पंजीकरण की समस्त जमा धनराशि जब्त कर लिया जायेगा।

8— तथ्यों को छिपाना :—

1. यदि आवेदक द्वारा दिया गया कोई भी विवरण असत्य पाया जाता है या कोई महत्त्वपूर्ण तथ्य छिपाया गया है तो आवंटन को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार उपाध्यक्ष गोरखपुर विकास प्राधिकरण, गोरखपुर में निहित होगा तथा आवंटी द्वारा जमा की गई समस्त धनराशि जब्त कर ली जायेगी एवं अन्य कोई कार्यवाही (जो उचित समझे) कर सकते है।
2. जमा की जाने वाली धनराशि प्राधिकरण के खाते में जमा होने की तिथि से अनुगामी माह की पहली तारीख से पूर्व वापस नहीं की जायेगी,किसी पंजीकृत आवेदक से लाटरी में सफल न होने, निर्माण कार्य में अथवा उसके स्थान में कोई परिवर्तन होने या, आवंटन हेतु आवेदक के अधिकृत न होने की दशा में आवेदक अपनी जमा धनराशि एक वर्ष के अन्दर बिना ब्याज रू0—1,000.00 प्रशासनिक व्यय की कटौती के उपरान्त वापस ले सकता है।

9— शुल्क/कर आदि की देयता :—

नगर निगम अथवा किसी विभाग द्वारा लगाये गये समस्त कर/शुल्क आवंटी द्वारा देय होंगे।

10— अन्य समान्य नियम एवं शर्ते :—

1.किसी भी आवंटी को बिना कोई कारण बताये निरस्त करने का अधिकार उपाध्यक्ष,गोरखपुर विकास प्राधिकरण गोरखपुर के पास सुरक्षित रहेगा।

2.यदि किसी भी समय यह पाया गया कि आवंटी/संस्थान द्वारा कोई तथ्य छिपाया गया है तो उपाध्यक्ष,गोरखपुर विकास प्राधिकरण, गोरखपुर को यह अधिकार होगा कि उसके द्वारा जमा सम्पूर्ण धनराशि जब्त करते हुए आवंटन निरस्त कर दे।

3.केता द्वारा मानचित्र तैयार कराकर स्वीकृति हेतु गोरखपुर विकास प्राधिकरण कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा। मानचित्र स्वीकृति के उपरान्त ही सफल बोलीदाता विकास/निर्माण कार्य कर सकेगा।

4.यदि कोई आवंटी/संस्था सम्पत्ति का उपयोग निर्धारित उपयोग के रूप में न करके अन्य उपयोग में करता है तो उसका आवंटन निरस्त करते हुए वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।

5.पंजीकरण/आवंटन ,कब्जा,निरस्तीकरण अथवा निर्माण आदि के समय यदि किसी भी विषयक पर विवाद उत्पन्न होने की स्थिति में उपाध्यक्ष,गोरखपुर विकास प्राधिकरण,गोरखपुर या उनके द्वारा नामित अधिकारी बतौर आर्बीट्रेटर मामले को आर्बीट्रेटर एण्ड कान्सिलेशन एक्ट 1996 के अनुसार निस्तारित करेगा,उनके द्वारा दिया गया फैसला अन्तिम एवं मान्य होगा।

6.सम्पत्ति का दर्शाया गया क्षेत्रफल मानक क्षेत्रफल है। मानक क्षेत्रफल से अधिक भूमि होने की स्थिति में उसका भुगतान नियमानुसार किया जाना होगा।

7.पंजीकरण/आवंटन ,कब्जा एवं विकास कार्य में विवाद एवं अन्य किसी हानि,क्षति देयक के भुगतान से सम्बन्धित विवाद का क्षेत्राधिकार गोरखपुर के स्थानीय न्यायालय का होगा। अन्य स्थान पर दायर कोई वाद विकास प्राधिकरण पर बाध्यकारी नही होगा। विशेष परिस्थितियों में योजना को निरस्त करने का अधिकार उपाध्यक्ष,गोरखपुर विकास प्राधिकरण,गोरखपुर में निहित होगा।

8.योजना पूर्णतः विकसित होने पर, न्यायालय के आदेश या किसी अन्य कारणों से यदि मूल्य में बढोत्तरी होगा तो आवंटी/संस्था द्वारा बढ़ी हुई धनराशि का भुगतान विक्रय–विलेख/पट्टा विलेख सम्पन्न होने के पूर्व किया जाना होगा।

9.ई–नीलामी के माध्यम से ही आवंटन किया जायेगा।

10.आवंटन के पश्चात व्यवसायिक भूखण्ड को सबडिवीजन करने का अधिकार नही होगा।

11.आवंटन के पश्चात गोरखपुर विकास प्राधिकरण,गोरखपुर में अन्य प्रचलित शर्तें/नियम तथा समय–समय पर प्राधिकरण अथवा शासन द्वारा इनमें किये गये संशोधन/परिवर्तन/परिवर्धन लागू एवं मान्य होंगे।

उपाध्यक्ष,
गोरखपुर विकास प्राधिकरण
गोरखपुर।

नोट:–गोरखपुर विकास प्राधिकरण,गोरखपुर सम्पत्तियों के आवंटन एवं मानचित्र स्वीकृत नियमावली (31.03.98 व वर्तमान तक यथा संशोधित)की सभी शर्तें/शासनादेश यथावत प्रभावी होंगी।